

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक : 31 जुलाई- 2018,
--: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अगस्त- 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं० 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1-	पीठ-प्रथम नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	06.08.18 से 08.08.18 09.08.18 व 10.8.18	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश व पीठ-2, नोएडा पीठ-1 नोएडा (न्याय0) व पीठ-2 नोएडा (वि0)
2-	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ-मुजफ्फरनगर	20.08.18 से 24.08.18	पीठ-1 आगरा (न्याय0) व पीठ-सहारनपुर
3-	पीठ-प्रथम वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	27.08.18 से 30.08.18	पीठ-3, वाराणसी (न्याय0) व पीठ-4 वाराणसी
4-	पीठ-सहारनपुर	पीठ-सहारनपुर	27.08.18 से 29.08.18 30.8.18 व 31.08.18	पीठ-1, इलाहाबाद (न्याय0) व पीठ-सहारनपुर अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश व पीठ-सहारनपुर

६० ३१/७/१८

(विकार अहमद अन्सारी)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1723/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष सहोदय की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।